संख्या : 1722 /आठ–5–22–05ई / 2013

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2022**

विषय : **उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–11 / 2022 / सा–3–400 / दस–2022–301 / 2000टी0सी0, दिनांक 23.07.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को अनुमन्य मंहगाई राहत की दर दिनांक 01.01.2022 से 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत की गयी है।

2– वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2022 से मँहगाई राहत 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत इस शर्त के अधीन की जाती है कि इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित प्राधिकरण अपने संसाधनों से वहन करेगें तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता प्राधिकरणों को प्रदान नहीं की जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या : 1722 (1)/आठ–5–2021, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या -11/2022/सा-3-400/दस-2022-301/2000टी0सी0

लखनऊ : दिनाँक 23 जुलाई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/200टी0सी0 दिनांक 22 दिसम्बर 2021 द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2021 से महँगाई राहत की दर 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 31 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनाँक 01 जनवरी, 2022 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 31 प्रतिशत से बढ़कर दिनाँक 01 जनवरी, 2022 से 34 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(नील रतन कुमार),
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।